

①

Dr. Honey Sinha
(Assistant professor)
Dept. of Commerce

Lecture:- 136

B.com part-1st

Sub: Financial Accounting

Paper: 1st

SNSRKS COLLEGE SAMARSA

Introduction :- शोध्य पूर्वाधिकार अंशों पर संक्षिप्त
दृष्टि

(A short note on Redemable preference Shares).

* शोध्य पूर्वाधिकार अंश (Redemable preference Share) :-

ऐसा पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन कम्पनी कि इच्छा पर किसी पूर्व निर्धारित तिथि को या उसके बाद भी हो सकता है। शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कम्पनी शोध्य पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनकी पूँजी किसी पूर्व निर्धारित तिथि को या उससे बाद कभी भी वापस कर सकती है। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन और शोधन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम 1957 की धारा 80 के अंतर्गत निम्न बात उल्लेखनीय है :-

① ऐसे अंशों का निर्गमन अंशों द्वारा सीमित कम्पनी ही कर सकती है।

2

PAGE

DATE

2 ऐसे अंशों का निर्गमन तभी किया जा सकता है जबकि कम्पनी के पार्षद अंतरनिधियों द्वारा ऐसे अंशों को निर्गमित करने के लिए अधिकार प्राप्त हो।

3 ऐसे अंशों का शोधन तभी किया जा सकता है जबकि वे पूर्णतः (fully paid) हैं अर्थात् अंशतः त (partly paid) शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है।

4 इन अंशों का शोधन या तो इस उद्देश्य के लिए नये अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि से या लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से किया जाता है।

5 जब ऐसे अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से किया जाता है तो ऐसे अंशों के अंकित मूल्यों के बराबर राशि लाभ हानि खाते (Profit & Loss Account), सामान्य संचय (General Reserve) लाभांश समानीकरण कोष (work-men compensation fund), श्रमिक पुर्वतना कोष आदि से पूँजी शोधन संचय खाते में अंतरित कर लेते हैं।

6 यदि ऐसे अंशों के शोधन संचय खाते का उपयोग केवल बोनस अंशों (Bonus Shares)

(3)

के निर्गमन के लिए ही हो सकता है अन्यथा इस खर्च को कम्पनी के निरुद्ध के दायित्व पर न दर्शाते हैं।

(3) यदि ऐसे अंशों के शोधन के लिए नए अंश निर्गमित किए गए हैं तो इन नए अंशों के निर्गमन के कारण पूंजी में वृद्धि नहीं मानी जाएगी।

(4) ऐसे अंशों का शोधन कुछ नए अंशों के निर्गमन के द्वारा और शेष भाग के लिए लाभों के उपलब्ध लाभों से किया जाता है।

“पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रविष्टियाँ”
(Entry on Redemption of preference shares)

यदि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से करना है तो सर्वप्रथम नए अंशों के निर्गमन के लिए निम्न प्रविष्टियाँ करते हैं :-

* यदि नए अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर (At par) होना है।

(9)

Bank A/c ----- Dr.
To Share Capital A/c.

* यदि नये अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है -

Bank A/c ----- Dr.
To Share Capital A/c.
To premium on shares A/c.

* यदि नये अंशों का निर्गमन लड़े पर होता है -

Bank A/c ----- Dr.
Discount on issue of share A/c ----- Dr.
To Share Capital A/c.

* यदि शोधय पूर्वार्थिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर होता है तो प्रीमियम खाते (यदि प्रीमियम खाता पुस्तकों में पहले से ही है) या लाभ-हानि में से प्रीमियम का आयोजन किया जाना चाहिये। उसके लिए निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं -

Premium on issue of Share A/c --- Dr.
(यदि पहले से प्रीमियम खाता है)

Profit and Loss A/c ----- Dr. (यदि आवश्यकता हो)

5

To premium on Redemption of Share A/c.

- * यदि शोध पूर्वधिकार अंशों का शोधन लाभों के लिए उपलब्ध लाभों में से किया जाता है तो उसके लिए निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं —

Profit and Loss A/c — — — — — Dr.
General Reserve / other Revenue Reserve A/c.

To Capital Redemption Reserve A/c.

- * शोध पूर्वधिकार अंशों के शोधन के लिए निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं : —

① Redeemable preference Share Capital
— — — — — Dr.

Premium on Redemption of Shares
A/c — — — — — Dr.

To Redeemable Preference Shares
holders A/c.

② Redeemable preference Share holders
A/c — — — — — Dr.

6

To Bank A/c.

* यदि पूँजी भुगतान कोष आने का प्रयोग
बोनस अंश निर्गमित करने के लिए किया
जाता है तो निम्न दो प्रविष्टियाँ की जाती हैं:-

① Capital Redemption Reserve A/c ---
--- Dr.

To Bonus to Share holders A/c

② Bonus to Share holders A/c ---
--- Dr.

To Share Capital A/c.

The end

Dr. Honey Singh
(Assistant professor
Dept. of Commerce
SNRSRKS College
Saharsa